बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 1981 ई०

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर :—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4(ii) के परन्तुक के अधीन सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर। ... 1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :—97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, एवं 105 ... 1—11

श्री चौधरी मो० सलाहुउद्दीन—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) प्रश्नाधीन पथ के शेष 22 कि० मी० भाग को मोरम रोड बनाने में लगभग 14 लाख रुपया व्यय होगा जो निधि के अभाव में सम्भव नहीं है।

सड़क का पक्कीकरण।

3019 श्री अयोध्या प्रसाद—क्या मन्त्री, ग्रा० पु० विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखण्ड में जब विद्यालय से सरमेरा गांव तक, कुल 1 किलोमीटर कच्ची सड़क के पक्कीकरण का आदेश 9-2-81 को दिया गया था जिसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चौधरी मो० सलाहुउद्दीन—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

परन्तु पथ का पक्कीकरण हेतु स्वीकृति 3-2-81 को दी गई है।

(2) प्रश्नाधीन नालन्दा जिलान्तर्गत सरमेरा उच्च विद्यालय से सरमेरा गांव तक पथ के पक्कीकरण हेतु निधि उपलब्ध होने पर वित्तीय वर्ष 1982-83 में विचार किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

3025 श्री जीतन राम मांझी—क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—क्या यह बात सही है कि भारत सरकार ने नालन्दा स्थित पाली प्रतिष्ठान और वैशाली स्थित प्राकृत प्रतिष्ठान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार को कतिपय प्रारम्भिक कार्यवाईयाँ करने का अनुरोध किया है, यदि हाँ तो राज्य सरकार ने कौन-सी कारंवाई की है और आगे कौन-सी कारंवाई करने का विचार रखती हैं ?

श्री नसीरुद्दीन हैदर—उत्तर नकारात्मक है। नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा तथा प्राकृत प्रतिष्ठान, वैशाली को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए भारत सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने

स्वयं नालन्दा स्थित पाली प्रतिष्ठान को नहीं; बल्कि नालन्दा महाविहार, नालन्दा को स्वायत संस्था घोषित किया है।

शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण।

श्री राय हरिशंकर शर्मा—क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन के लिए न्यूनतम योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण निर्धारित है;

(2) क्या यह बात सही है कि चालू सत्र 1981-83 में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से इन्टर मीडियेट निर्धारित की गई है, यदि हां तो क्यों ?

श्री नसीरूद्दीन हैदर खां—(1) पूर्व में 1980-82 तक नामांकन की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक द्वितीय श्रेणी थी किन्तु 1981-83 में इसे इन्टरमीडियट करने का निर्णय सरकार ने लिया था;

(2) किन्तु राज्य सरकार ने पुनः विचार कर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में 1981-83 सत्र हेतु न्यूनतम योग्यता माध्यमिक परीक्षोत्तीर्ण द्वितीय श्रेणी निश्चित कर दिया है।

परीक्षा अस्वीकृत करने का औचित्य।

3027 श्री नन्दलाल चौधरी—क्या मन्त्री, ग्रा० पु० विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्री वासुदेव राम, सहायक (अनुसूचित जाति) की नियुक्ति दिनांक 20-4-71 तथा सम्पुष्टि विभागीय आदेश संख्या क्रमशः 389 एवं 4472 दिनांक 2-9-76 के द्वारा दिनांक 25-1-74 से हुई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उनकी प्रोन्नति कालमान अवधि के अनुसार आरक्षित कोटे में प्रवर कोटि सहायक के पद पर दिनांक 20-4-78 से देय है;